

**सीसीआरटी, क्षेत्रीय केंद्र, हैदराबाद में दिनांक 16 से 25 जून, 2025**  
**तक "हमारी सांस्कृतिक विविधता" विषय पर कार्यशाला पहले आओ पहले पाओ के आधार**  
**पर प्रतिनियुक्त अंतिम/पुष्टिकृत शिक्षको की सूची**

क्र.सं.	शिक्षक का नाम	राज्य	दिनांक
1.	वीरेन जयंतीलाल मकवाना	गुजरात	29 मई, 2025
2.	महेशकुमार जयंतीलाल सपोवाडिया	गुजरात	29 मई, 2025
3.	मिलन विनोदभाई धमसानिया	गुजरात	29 मई, 2025
4.	किरणभाई हरीशभाई गोरा	गुजरात	29 मई, 2025
5.	भारती पाठक	उतार प्रदेश	29 मई, 2025
6.	कौशिक चंद्र खान	पश्चिम बंगाल	03 जून, 2025
7.	सुतनु भट्टाचार्य	पश्चिम बंगाल	03 जून, 2025
8.	राजेश कुमार शर्मा	पश्चिम बंगाल	03 जून, 2025
9.	संगीता हलदर	पश्चिम बंगाल	03 जून, 2025
10.	जेस्मीन खातून	पश्चिम बंगाल	03 जून, 2025
11.	अमरजीत मंडल	पश्चिम बंगाल	03 जून, 2025
12.	मौमिता सिन्हा	पश्चिम बंगाल	06 जून, 2025
13.	निशांत सिंह	हरियाणा	06 जून, 2025
14.	अंजू यादव	हरियाणा	06 जून, 2025
15.	मोनिका	हरियाणा	06 जून, 2025
16.	नवीन पहल	हरियाणा	06 जून, 2025
17.	कैलाश चंदर	हरियाणा	06 जून, 2025
18.	नरेंद्र सिंह	हरियाणा	06 जून, 2025
19.	मीना रानी	हरियाणा	06 जून, 2025
20.	राजबीर	हरियाणा	06 जून, 2025
21.	धनपत सिंह	हरियाणा	06 जून, 2025
22.	डॉ. जोगिंदर सिंह	हरियाणा	06 जून, 2025
23.	कुमारी रजनी	बिहार	09 जून, 2025
24.	श्वेता रंजन	बिहार	09 जून, 2025
25.	प्रदीप कुमार पांडे	बिहार	09 जून, 2025
26.	गणेश कुमार	बिहार	09 जून, 2025
27.	मिथिलेश कुमार शर्मा	बिहार	09 जून, 2025
28.	नीतेश कुमार गुप्ता	बिहार	09 जून, 2025
29.	दीपक कुमार जालान	बिहार	09 जून, 2025
30.	संजय कुमार दीक्षित	बिहार	09 जून, 2025
31.	ईश्वर चन्द्र	बिहार	09 जून, 2025
32.	अभिनव कुमार तिवारी	बिहार	09 जून, 2025

“हमारी सांस्कृतिक विविधता” विषय पर कार्यशाला के लिए शिक्षकों की नियुक्ति करते समय कृपया निम्नलिखित बिन्दुओं पर ध्यान दिया जाए :

1. प्रतिनियुक्त शिक्षकों की आयु वर्ष तक 52 52 वर्ष तक की होनी चाहिए। (पंजीकरण के समय जन्मतिथि प्रमाण पत्र देना आवश्यक है)
2. कार्यशाला केवल सेवारत सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षकों के लिए है जो कक्षा 1 से 12 तक भाषा, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, गणित, विज्ञान, ललित कला, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, संगीत आदि विषय पढ़ाते हों एवं प्रशिक्षण के लिए योग, शारीरिक शिक्षा और SUPW विषयों से संबंधित शिक्षक के नाम की अनुशंसा नहीं की जानी चाहिए।
3. विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका/प्रधानाचार्य को कार्यशाला में भाग लेने के लिए प्रतिनियुक्त नहीं किया जाना चाहिए।
4. जो शिक्षक आपके रिकार्ड के अनुसार सीसीआरटी द्वारा आयोजित 'हमारी सांस्कृतिक विविधता' विषय पर कार्यशाला में पहले भाग ले चुके हैं उन्हें दोबारा प्रतिनियुक्त नहीं किया जाना चाहिए।
5. कोई भी संविदा या अस्थाई शिक्षक जैसे शिक्षाकर्मी-, शिक्षाबन्धु-, शिक्षामित्र-, शिक्षक सुविधा प्रदाता, संविदा शिक्षक आदि प्रतिनियुक्त नहीं किया जाना चाहिए।
6. चूंकि देश के विभिन्न भागों से आए हुए शिक्षकों के लाभ के लिए विशेषज्ञ द्विभाषी अर्थात् हिन्दी और अंग्रेजी में अपना व्याख्यान देंगे इसलिए प्रतिभागियों को अंग्रेजी की समझ एवं उसमें काम करना आना चाहिए।
7. कार्यशाला में कैम्प का वातावरण रहेगा और यह लंबी अवधि के लिए होगा अतः शिक्षकों का स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। :
8. कार्यशाला में एक समय में एक विद्यालय से एक ही शिक्षक प्रतिनियुक्त किया जाना चाहिए।
9. कोई भी प्रतिनियुक्त शिक्षक किसी भी परिस्थिति में अपने साथ किसी साथी/परिवार के सदस्यों को नहीं ला सकते हैं।
10. आपका प्रतिनियुक्ति आदेश अंतिम आदेश माना जाएगा और सीसीआरटी किसी व्यक्ति के लिए चयन पत्र जारी नहीं करेगा।
11. सीसीआरटी के साथ पत्राचार के लिए हमारा संदर्भ पत्र संख्या और तारीख अवश्य उद्धृत किया जाना चाहिए।

कार्यशाला के पहले दिन पंजीकरण के लिए और कार्यशाला के अंतिम दिन वाहन भत्ता के लिए प्रतिनियुक्त शिक्षकों को निम्नलिखित प्रमाण-पत्र अलग कागज पर लाना जरूरी है :-

1. जन्म तिथि प्रमाण-पत्र
2. स्कूल से कार्य मुक्त प्रमाण पत्र
3. मूल वेतन प्रमाण पत्र
4. कैसिल चेक/पासबुक के प्रथम पृष्ठ की प्रति
5. दो पासपोर्ट आकर के फोटो
6. टिकट/टिकट संख्या(आने की यात्रा की मूल प्रति और वापसी की यात्रा की फोटो कोपी)। आने जाने की टिकट सबसे छोटे मार्ग का और हकदार कक्ष का होना चाहिए।

इसलिए, यह अनुरोध किया जाता है कि राज्य शिक्षा विभाग और संबंधित कार्यमुक्त प्राधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि शिक्षक को दिशानिर्देशों को पूरा करना होगा और यदि वे ऐसा करने में विफल रहते हैं, तो उन्हें कार्यमुक्त कर दिया जाएगा और पंजीकृत नहीं किया जाएगा।